बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग,
बिहार,पटना

<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 112/2009 - 2010</u>

<u>1. परिचयात्मक :-</u>

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम :- जिला भविष्य निधि लेखा कार्यालय,मुजफ्फरपुर

(ख) प्रशासी विभाग का नाम :- वित्त विभाग, बिहार

(ग) **अंकेक्षणान्तर्गत लेखा प्रभारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों के नाम पदनाम एवं प्रभार की अवधि :-**

(1) श्री पवन कुमार - 1.4.2003 से 31.3.2004
जिला भविष्य निधि पदाधिकारी

(2) श्री त्रिलोकी प्रसाद वर्मा- 1.4.2003 से 29.8.2003
प्रधान लिपिक, प्रभारी लेखापाल

(3) श्री अशोक कुमार सिन्हा- 1.9.2003 से 30.3.2004
लिपिक, प्रभारी लेखापाल

(4) श्री गुरु शरण पासवान -30.3.2004 से 31.3.2004
लिपिक, प्रभारी लेखापाल

(5) श्री प्रकाश चन्द्र सिन्हा, - 1.4.2003 से 30.8.2003
लिपिक, प्रभारी रोकड़पाल

(6) श्री राजेन्द्र पांडे,लिपिक - 1.9.2003 से 31.3.2004
प्रभारी रोकड़पाल

(घ) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम :-
श्री तपेशवर पासवान, प्रभारी प्रधान लिपिक

(ड0) अंकेक्षणान्तर्गत लेखा अवधि :-2003 - 2004

(च) अंकेक्षकों के नाम :- (1) श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय अंकेक्षक -2
(2) श्री कृष्णा वल्लभ सहाय, वरीय अंकेक्षक-2
(3) श्री कुमार गंगानन्द सिंह ,वरीय अंकेक्षक-2
(4) श्री राम गुलाम ताँती , वरीय अंकेक्षक-2

(छ) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि :- 21.07.2009

(ज) अंकेक्षण समापन तिथि :- 31.07.2009

(ट) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवसों की संख्या– 11.2/3 कार्य दिवस औसतन।

(झ) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :– प्रतिवेदन के परिशिष्ट ”क“ पर उल्लिखित है।

(ञ) **अंकेक्षण का क्षेत्र :–** वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9. 1960में निहित निर्देशानुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इस लेखा का जाँच कार्य सम्पन्न किया गया। इस कार्यालय द्वारा जिला कोषागार ,मुजफ्फरपुर से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन कोषागार द्वारा उपलब्ध कराये गये भुगतान सूची से प्रतिवेदन के कंडिका 7 से संबंधित रु0 758.00 को छोड़कर सत्यापन किया गया एवं सही पाया गया । जिला कोषागार द्वारा शीर्ष 2071 अव्यवहृत अवकाश वेतन से सम्बद्ध दिनांक 1.4.2003 से 30.9.2003 तक का भुगतान सूची एवं वर्ष 2003–04 का वाणिज्य कर से संबंधित जमा सूची सत्यापन हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। फलस्वरुप उक्त का सतयापन नहीं हो पाया। अंकेक्षण अवधि 2001–02 से 2002–03 तक से सम्बद्ध अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–39/2004–05 के कंडिकाओं का अनुपालन लंबित पाया गया।

(ट) वित्तीय समीक्षा :– इस कार्यालय द्वारा लेखा शीर्ष 2054 के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट ”ख“ में उल्लिखित है जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि कतिपय मदों में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कम व्यय के फलस्वरुप वचत हुयी थी जिन्हें प्रत्यार्पित किया गया था। परन्तु वेतन मद में प्राप्त कुल आवंटन रु0 12,00,000.00 के विरुद्ध कुल व्यय रु0 10,76,864.00 के पश्चात वचत राशि रु0 1,23,136.00 के स्थान पर रु0 1,23,123.00 ही मात्र पत्रांक 734 दिनांक 31.3.2004 के द्वारा प्रत्यार्पित दर्शाया गया था। इस प्रकार वेतन मद में बचत राशि से कम (रु0 1,23,136.00 – रु0 1,23,123.00) रु0 13.00 प्रत्यार्पित किया गया जो व्ययगत हो गया।
भविष्य में इस ओर ध्यान रखा जाय ताकि समय पर बचत राशि का प्रत्यार्पण स–समय किया जा सके।

अंकेक्षण लेखा अवधि 2003–04 के दिनांक 1.4.2003 का प्रारंभण एवं दिनांक 31.3.2004 का संवरण शेष रोकड़ पुस्त में क्रमशः रु0 80,614.00 एवं 15,330.00 अंकित पाया गया जिसे यूको (uco) बैंक

मुजफ्फरपुर के चालू खाता सं0 1805 (जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के पद नाम से) में जमा शेष में होने का उल्लेख तो किया गया था, परन्तु बैंक विवरण अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। फलस्वरुप इन तिथियों के शेष की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी । उच्च पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि बैंक में जमा शेष की स्थिति ज्ञात कर सुनिश्चित कर लिया जाय। बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 एवं वित्त विभागीय ज्ञापांक 1946 दिनांक 14.2.79 में निहित निदेशानुसार रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन संबंधी प्रमाण रोकड़ पुस्त पर अंकित नहीं पाया गया जबकि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा माह के 15 एवं 30 तारीख को निश्चित रुप से रोकड़ पंजी के साथ नकद रोकड़ का भौतिक सत्यापन कर तत्संबंधी प्रमाण– पत्र रोकड़ पुस्त में अंकित किय जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 21.7.2009 को रोकड़ पुस्त पृष्ट सं0– 118 पर संवरण शेष शून्य था। अतः भौतिक सत्यापन का प्रश्न नहीं था।

(ट) स्वीकृत बल :– जिला भविष्य निधि पदाधिकारी ,मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 23.7.2009को अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विभाग में निदेशालय स्तर पर ही पदाधिकारियों कर्मचारियों का केन्द्रियकृत रुप से पद की स्वीकृति प्राप्त है।वर्ष 2003–04 में इस कार्यालय में निम्न प्रकार पदाधिकारी कर्मचारी कार्यरत होने की सूचना अंकेक्षण को दी गयी :–

1. जिला भविष्य निधि पदाधिकारी – 1 (एक)
2. प्रधान लिपिक – 1 (एक) 31.8.03को सेवानिवृत्त
3. लिपिक – 15 (पन्द्रह)

(ड) पर्यवेक्षण – निरीक्षण :– इस लेखा की जाँच क्रम में अंकेक्षण द्वारा अनुरोध किये जाने पर कार्यालय प्रधान एवं उच्चाधिकारियों के निरीक्षण से संबंधित कोई प्रतिवेदन उपलबध नहीं कराया गया।

भाग–1

(2) <u>स्थानान्तरण यात्रा भत्ता रु0 1660.00 का अनियमित भुगतान वसूली योग्य</u> :– श्री कौशल किशोर प्रसाद सिन्हा, लिपिक का जिला भविष्य निधि कार्यालय पूर्णियाँ से इस कार्यालय में स्थानान्तरण होने के फलस्वरुप दिनांक 1.6

2001 को योगदान करने के पश्चात् उनके द्वारा समर्पित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता विपत्र रु0 5,298.00 में से रु0 298.00 अदेय का शेष राशि रु0 5,000.00 का भुगतान विपत्र सं0- 39/ 2003-04 के द्वारा दिनांक 14.11.03 को दर्शाया गया था। उपर्युक्त स्थानान्तरण यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति की जाँच क्रम में ज्ञात हुआ कि श्री सिन्हा ने रेल द्वारा पूर्णियाँ से मुजफ्फरपुर तक की प्रथम श्रेणी में यात्रा के लिए स्वयं के लिये प्रति टिकट रु0 415.00 की दर से कुल 3(तीन) रेल भाड़ा रु0 1245.00 के अलावे अपने दो पुत्रों जिनकी उम्र क्रमशः 25 वर्ष एवं 23 वर्ष विपत्र में दर्शाया गया हो,के लिए प्रथम श्रेणी के भाड़ा उक्त दर से रु0 830. 00 को भी शामिल कर दावा किया गया था। जबकि बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 85 (i) 1 के प्रावधानानुसार रेल द्वारा यात्रा करने पर अनुमान्य श्रेणी का एकल (सिंगल) भाड़ा ही स्वयं के लिए देय है। दूसरी ओर बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 12 के (i) (iv) अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के पत्रों एवं दत्तक पुत्रों जिनकी उम्र 21क (एक्कीस) वर्ष से नीचे है,के लिए ही स्थानान्तरण की स्थिति में यात्रा करने पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा । इस प्रकार श्री सिन्हा ने स्वयं के लिए 1(एक) के स्थान पर 3(तीन) रेल भाड़ा का एवं 2 पुत्रों के लिए रेल भाड़ा का दावा एक भुगतान प्राप्त कर लिया था जो अनियमित है।

अतः स्वयं के लिए उक्त दर से प्राप्त किया गया 2 रेल भाड़ा की राशि रु0 830.00 एवं पत्रों के लिए रु0 830.00 कुल रु0 1660.00 वसूली योग्य है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति से राशि की वसूली कराकर कोषागार में जमा कराया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण)विभाग को भी दिया जाय।

(3) सड़क भत्ता रु0 165.20 का अनियमित भुगतान वसूली योग्य।

बिहार सरकार ,वित्त विभाग, पत्र सं0- 1524(2) दिनांक 10.3. 2000 के द्वारा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 57 में संशोधन के फलस्वरुप प्रति किलो मीटर 0.60 (साठ) पैसे की दर से संड़क भत्ता का प्रावधान

दिनांक 1.1.2000 से किया गया था। परन्तु श्री कौशल किशोर सिन्हा,लिपिक ने

माह जनवरी– फरवरी,2002 एवं नवम्बर ,2002 से सम्बद्ध यात्रा भत्ता विपत्र में विभिन्न स्थलो की सड़क यात्रा हेतु कुल 118 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 2.0 की दर से दावा कर कुल रु0 236.00 सड़क भत्ता की शमिल कर यात्रा भत्ता विपत्र सं0– 40/2003–04 के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त कर लिया था। जबकि प्रति किलो मीटर 0.60 पैसे की दर से (118 कि0मी0 x 0.60)रु0 70.80 ही मात्र सड़क भत्ता की राशि देय था। इस प्रकार (रु0 236.00 – 70.80)रु0165.20 सड़क भत्ता का अनियमित (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ग" पर उल्लिखित) भुगतान कर लिया गया था जो संबंधित व्यक्ति से वसूली योग्य है। अतः सक्षम पदाधिकारी द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई कर राशि को वसूली करा कर इसे कोषागार में जमा कराया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

(4)त्योहार अग्रिम की राशि रु0 1050.00 असमायोजित ।

वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में ज्ञात हुआ कि श्री महेन्द्र प्रसाद शाही ,लिपिक भविष्य निधि निदेशालय बिहार,पटना कार्यालय से दिनांक 9.6.2003 को कार्य विरमित होने के पश्चात दिनांक 17.6.2003 को जिला भविष्य निधि कार्यालय, मुजफ्फरपुर में योगदान दिये थे। श्री महेन्द्र प्रसाद शाही ,लिपिक को प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण– पत्र के आधार पर माह जून,2003 के वेतन का भुगतान विपत्र सं0– 12/2003–04 के अन्तर्गत दिनांक 2.7.2003 को दर्शाया गया था। वेतन पंजी की जाँच क्रम में ज्ञात हुआ कि श्री शाही को माह जून,03 के भुगतेय सकल वेतन की राशि में से इन्हें पर्व में भुगतीत पर्व अग्रिम 1500/– की प्रतिमाह रु0 150.00 की दर से कटौती की जाने वाली राशि की तीसरी किस्त अर्थात 3/10 की कटौती की गयी थी । उक्त माह के आगे अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक शेष 7 (सात) किस्तों की रु0 1050.00 की कटौती कर अग्रिम का सामंजन नहीं किया गया था। इस संदर्भ में कार्यालय द्वारा श्री शाही का अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र की प्रति अंकेक्षण में उपलग्ध नहीं कराया जा सका। परन्तु श्री शाही जो सम्प्रति इस कार्यालय में कार्यरत है के द्वारा पर्व अग्रिम की राशि रु0 1050.00 समायोजनार्थ लंबित होने की होने की बात स्वीकारी गयी है। अतः संबंधित व्यक्ति के वेतन से एक मुस्त रु0 1050.00 की कटौती कर अग्रिम का सामंजन कर लिया जाय अथवा राशि वसूलकर इसे कोषागार के उचित शीर्ष में जमा करा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(5) कम्प्युटर द्वारा जी0 पी0 एफ0 सिडयूल एवं मास्टर इन्ट्री हेतु भुगतीत राशि रु0 1,29,930.00 आपत्ति अन्तर्गत ।

इस जिले के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों - पदाधिकारियों के वेतनादि विपत्रों से कटौती कर उनके भविष्य निधि खाते में जमा की गयी राशि एवं अग्रिम आदि की प्रविष्टि कम्प्यूटर द्वारा सिडयूल से किये जाने का उल्लेख आकस्मिकता के विभिन्न अभिश्रवों में पाया गया। इन अभिश्रवों के अन्तर्गत जी0 पी0 एफ0 सिडयूल एवं मास्टर इन्ट्री हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर की वर्ष 2003-04 के अन्तर्गत कुल रु0 1,29,930.00 का भुगतान रोकड़ पुस्त में व्यय स्वरुप दर्शाया गया था जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "घ" में उल्लिखित किया गया है। इस संदर्भ में कोई भी संचिका या सरकारी विभागीय पत्र अंकेक्षण में उपलबध नहीं कराया गया। फलस्वरुप रु0 1,29,930.00 के व्यय के औचित्य की जाँच संभव नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा समर्पित विपत्र में भुगतान राशि के समर्थन में सिडयूल और मास्टर इन्ट्री का व्यौरा न तो अंकित किया गया और न अलग से संलग्न किया गया था। इस संदर्भ में कार्यालय द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी । संलग्न विवराणी के अभ्युक्ति कॉलम के अवलोकन से ज्ञात होगा कि अभिश्रवों के अन्तर्गत भुगतीत राशि हेतु जो व्यौरा दर्शाया गया है, अस्पष्ट एवं भ्रामक है। अतः सक्षम पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है, कि अपने स्तर से इसकी सम्यक जाँच कर कम्प्युटर ऑपरेटर के विपत्र में उल्लिखित इन्ट्री से संबंधित सिडयूल की उपलब्धता सुनिश्चित करा लिया जाय। इस संबंध में की गयी कार्रवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय। तबतक भुगतीत राशि रु0 1,29,930.00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(6) बैंक ड्राफ्ट के निमित्त कमीशन रु0 200.00 का भुगतान आपत्ति अन्तर्गत ।

रोकड़ पुस्त में दर्शाये गये व्यय की जाँच क्रम में ज्ञात हुआ कि दिनांक 31.7.2003 को बैंक ड्राफ्ट सं0- 671268 के निमित्त रोकड़ पुस्त में बैंक को भुगतीत कमीशन रु0 200.00 का व्यय दर्शाया गया था। कमीशन का भुगतान किस बैंक को कितनी राशि के बैंक ड्राफ्ट के लिए और राशि किन्हें प्रदान करने हेतु

बनाया गया था का उल्लेख रोकड़ पुस्त में नहीं किया गया था। इस संदर्भ में आवश्यक जाँच पड़ताल कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यक्तिगत दावे अथवा आपूर्तिकर्त्ताओं के सामग्री सेवा की राशि का प्रेषण बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु कार्यालय के अन्य मदों की राशि का व्यय तो नहीं किया गया हैं। इस संदर्भ में की गयी कार्रवाई के परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।तब तक व्यय राशि रु0 200.00 को आपत्ति अंतर्गत रखा जाता है।

(7) कोषागार जमा सूची की अनुपलब्धता के फलस्वरुप जमा दर्शायी गयी <u>वाणिज्य कर की राशि रु0 758.00 का सत्यापन लंबित ।</u>

इस कार्यालय के अन्तर्गत रोकड़ पुस्त में दिनांक 4.4.03 एवं 1.3.04 को सामग्री आपूतिकर्त्ताओं से क्रमशः रु0 729.00 एवं रु0 29.00वाणित्य कर की वसूली दिखायी गयी थी। जिन्हें जिला कोषागार में क्रमशः चालान सं0-4 दिनांक 28.7.03 एवं चालान सं0- दिनांक 5.3.04 के द्वारा जमा दर्शाकर रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्टि की गयी थी। इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2003-04 में कोषागार से विपत्रों के द्वारा निकासी की गयी राशि एवं उपर्युक्त जमा दिखायी गयी राशि के सत्यापनार्थ बार- बार अनुरोध करने पर जमा सूची कोषागार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरुप सत्यापन संभव नहीं हो सका। अतः सक्षम पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर जमा राशि का अपने स्तर से सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय एवं वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण)विभाग,बिहार,पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का हस्ताक्षर</u>

1.

2.

परिशिष्ट "क"

कंडिका 1झ से संबंधित ।

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

(अ) प्रस्तुत अभिलेख :-

1. विपत्र पंजी वर्ष 2003-04
2. रोकड़ पुस्त
3. वेतन भुगतान पंजी
4. यात्रा भतता भुगतान पंजी
5. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियाँ
6. आकस्मिक व्यय पंजी
7. अभिश्रव
8. आवंटन एवं व्यय पंजी

(आ) अप्रस्तुत अभिलेख :-

1. सेवा पुस्त
2. यूकी बैंक चालू खाता सं0- 1805(जिला पदाधिकारी के नाम से)